रक्षा लेखा महानियंत्रक उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी ११००१०

सं-प्रशा/VIII/8201/2/भर्ती नियम/सहायक लेखा अधिकारी

दिनांक 29 अक्तूबर 2015.

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक एवम प्रधान लेखा नियंत्रक (फै॰) कलकता

विषय:-रक्षा लेखा विभाग मे सहायक लेखा अधिकारी के भर्ती नियम के सम्बंध मे ।

Recruitment Rules for the post of Assistant Accounts Officer in Defence Accounts Department published in Gazette of India vide SRO No 34 dated 01 September 2015 is uploaded on official website and the same may please be downloaded for information.

्रिकार जजोरिया)

रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक (प्रशा)

प्रतिलिपि:-

प्रशा अनुभाग IX/IV/XI/XIV/sas

----- सूचनार्थ ।

<u>ई डी पी अनुभाग</u> :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वैब्साईट पर अपलोड करने हेतू ।

- ऽ ० × -(आर रंगनाथन)

व लेखा अधिकारी (प्रशा)



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 18]

नई दिल्ली, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2015, शनिवार/भाद 22—भाद 28, 1937

No. 18] NEW DELHI, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2015, SATURDAY/BHADRA 22—BHADRA 28, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as A separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2015

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्धेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी), भर्ती नियम, 1989, तथा रक्षा लेखा विभाग (अनुभाग अधिकारी(लेखा), भर्ती नियम, 2008, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, सहायक लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना- यह नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3792 GI/2015

- 3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विर्निदिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :- उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता** वह व्यक्ति,--
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शिक्त :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन ियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अन्सूची

5/3/21					
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड	चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले
	V		वेतन या वेतनमान	पद	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक लेखा	3690*(2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड – 2,	चयन	30 वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय
अधिकारी	ँकार्यभार के आधार	सेवा, समूह "ख"	9300-34800 ₹.		सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या
	्पर परिवर्तन किया	राजपत्रित,	+	1	आदेशों के अनुसार सरकारी
	ं जा सकता है	अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन 4800		सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक
	- 4		₹.		शिथिल की जा सकती है)
	.)				
	1.0				टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित
	1				करने के लिए निर्णायक तारीख
	18				भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन
	Σ,				प्राप्त करने के लिए नियत की
					गई अंतिम तारीख होगी (न कि
	1				वह अंतिम तारीख जो असम
	4				मेघालय, अरुणाचल प्रदेश
	- 1 - 1				मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एव
	*				कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड
	1.7				लाहौल एवं स्पीति जिले तथा
	2°				हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले
					का पांगी उप-खंड, अंदमान एवं
					निकोबार द्वीप समूह तथा
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
	All s				निर्धारित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	
के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	के लिए विहित आयु और शैक्षिक		भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नत द्वारा
अर्हताएं		हो	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा
अहताए	अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे
	लागू होंगी या नहीं		जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक :		सीधे भर्ती हुए तथा समूह 'ग' से	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने
किसी मान्यता प्राप्त	लागू नहीं होता	प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए दो	पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन
विश्वविद्यालय से बेचलर की डिग्री	<u></u>	वर्ष।	द्वारा तथा दोनों के न हो सकने
, a ₂			पर सीधी भर्ती द्वारा।
वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त			टिप्पण 1: सीधी भर्ती संघ लोक
		टिप्पण: समूह 'ख' से प्रोन्नत हुए	सेवा आयोग द्वारा आयोजित
संस्थान या संगठन से वाणिज्य		व्यक्तियों के लिए कोई परिवीक्षा	प्रवेश परीक्षा के आधार पर की
स्नातक या आईसीडब्ल्यूए या सीए		नहीं।	जाएगी।
या सीएस।			जाएगा।
टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा			
सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में			टिप्पण 2 : सीधी भर्ती से आए
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए			अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि
जाए संघ लोक सेवा आयोग के			के लिए परिवीक्षा पर सहायक
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती			लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त
है।			किया जाएगा। सहायक लेखा
<i>ξ</i> 1			अधिकारी के रूप में नियमित
			नियुक्ति एवं स्थायीकरण हेतु
		'	अधिकारी को परिवीक्षा की
			अवधि के दौरान "अधीनस्थ लेखा
			सेवा परीक्षा" अर्हित करनी होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा मर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नित:- विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने रक्षा लेखा महानियंत्रक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित "अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा" उत्तीर्ण की हो प्रतिनियुक्ति/आमेलन (i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत किसी अन्य लेखा कार्यालय से सहायक लेखा अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द; या (ii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत किसी अन्य लेखा परीक्षा कार्यालय से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षां उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द; या (iii) केन्द्रीय सरकार के असंगठित लेखा संवर्ग के अंतर्गत	12 प्रोन्नित पर विचार करने के लिए, समूह "ख" विभागीय प्रोन्नित समिति की संरचना :- कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, मुख्यालय के लिए :- (1) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(प्रशासन)- अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक- सदस्य (3) रक्षा लेखा ज्येष्ठ सहायक महानियंत्रक या रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक — सदस्य रक्षा लेखा महानियंत्रक मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के लिए (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक -	13 सीधी भर्ती और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(iii) केन्द्रीय सरकार के असंगठित लेखा संवर्ग के अंतर्गत सदृश पद धारण करने वाले पदधारी, जिन्होंने अधीनस्थ लेखा सेवा या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य काडर के बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक- सदस्य (3) रक्षा लेखा उप नियंत्रक/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (प्रशासन) – सदस्य समूह 'ख' विभागीय पृष्टिकरण समिति (पृष्टिकरण के विचारार्थ की संरचना :- कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक, मुख्यालय के लिए:-	

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01.01.2006/वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहाँ एक पूर्व पुनरीक्षित सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान चाहिए एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहाँ यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

- (1) रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक(प्रशा.) अध्यक्ष
- (2) रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक- सदस्य
- (3) रक्षा लेखा ज्येष्ठ सहायक महानियंत्रक या रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक – सदस्य

रक्षा लेखा महानियंत्रक मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के लिए

- (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक -अध्यक्ष
- (2) रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक- सदस्य
- (3) रक्षा लेखा उप नियंत्रक/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक(प्रशासन) सदस्य

[फा. सं. 9(1)/सी/2010]

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव व अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 1st September, 2015

- **S.R.O. 34.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Assistant Accounts Officer), Recruitment Rules, 1989, and the Defence Accounts Department, (Section officer, Accounts), Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Accounts Officer in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Assistant Accounts Officer, Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the post(s) specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification.- No person,—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classificati on	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Accounts Officer	3690*(2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group `B' Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band- 2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs.4800.	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakhadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor's Degree from a recognized University. Desirable: Commerce Graduate or ICWA or CA or CS from a recognized Institutes or Organization. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits and Group 'C' promotees. Note: No probation for Group 'B' Promotees.	By Promotion, failing which by deputation/absorption failing both by direct recruitment. Note 1: The direct recruits will be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Union Public Service Commission. Note 2: Direct recruits will be appointed as Assistant Accounts Officer on probation for a period of two years. During the period of probation the officer shall have to qualify the "Subordinate Accounts Service Examination" for confirmation and regular appointment as Assistant Accounts Officer.

In case of recruitment by promotion or	If Departmental Promotion Committee	Circumstances in which
deputation or absorption grade from which	exists, what is its composition.	Union Public Service
promotion or deputation or absorption to be made.		Commission is to be consulted in making
		recruitment.
(11)	(12)	(13)
n d	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with Union
Promotion:	Committee for Considering Promotion consisting of:-	Public Service Commission is necessary while making
Departmental candidates who have passed the	For the office of the Controller General of	direct recruitment and
"Subordinate Accounts service examination" conducted by the Controller General of	Defence Accounts Head Quarters: -	appointing an officer on
Defence Accounts or any authority specified	(1) Joint Controller General of Defence	Deputation/Absorption.
by him.	Accounts (Administration) -Chairman	
Deputation/absorption	(2) Senior Deputy Controller General of	
(i) Assistant Accounts Officer or Subordinate	Defence Accounts or Deputy Controller General of Defence Accounts - Member	
Accounts Service Examination passed staff from any other accounts office under Central	(3) Senior Assistant Controller General of	
Government; or	Defence Accounts or Assistant Controller	
(ii) Assistant Audit Officer or Subordinate	General of Defence Accounts -Member	
Audit Service Examination passed staff from	For offices other than the Controller	,
any other audit office under Central	General of Defence Accounts Head Ouarters:-	
Government; or	(1) Principal Controller of Defence	
(iii) Officials holding analogous post(s) under unorganized Accounts Cadre of Central	Accounts or Controller of Defence	
Government, who have qualified Subordinate	Accounts -Chairman	
Accounts Service or any equivalent	(2) Additional Controller of Defence	
examination.	Accounts or Joint Controller of Defence	
Note 1: The period of deputation including the	Accounts - Member.	
period of deputation in another ex-cadre post	(3) Deputy Controller of Defence Accounts / Assistant Controller of Defence Accounts	
held immediately preceding this appointment	(Administration) - Member.	
in the same or some other organization or department of the Central Government shall	Group 'B' Departmental Confirmation	
ordinarily not to exceed three years. The	Committee for Considering Confirmation	
maximum age limit for appointment by	consisting of :-	
deputation or absorption shall not be exceeding	For the office of the Controller General of Defence Accounts Head Quarters: -	
56 years as on the closing date of receipt of	(1) Joint Controller General of Defence	
applications. Note 2: For the purpose of appointment on	Accounts (Administration) -Chairman	
deputation/absorption basis, the service	(2) Senior Deputy Controller General of	
rendered on a regular basis by an officer prior	Defence Accounts or Deputy Controller	
to 01.01.2006/the date from which the revised	General of Defence Accounts - Member	
pay structure based on the 6 th CPC	(3) Senior Assistant Controller General of Defence Accounts or Assistant Controller	
recommendations has been extended, shall be	General of Defence Accounts -Member	
deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended	For offices other than the Controller	
based on the recommendations of the Pay	General of Defence Accounts Head	
Commission except where there has been	Quarters:-	
merger of more than one pre-revised scale of	(1) Principal Controller of Defence	
pay into one grade with a common grade pay	Accounts or Controller of Defence Accounts - Chairman	
or pay scale, and where this benefit will extend	(2) Additional Controller of Defence	
only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade	Accounts or Joint Controller of Defence	
without any upgradation.	Accounts - Member.	
	(3) Deputy Controller of Defence Accounts	
	or Assistant Controller of Defence Accounts(Administration) - Member.	
<u> 1.</u>	- Welliber.	

[F. No. 9(1)/C/2010]